समाहरणालय, धनबाद।
(जिला भू–अर्जन शाखा)

–: आदेश :–

भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–8 के अंतर्गत उपायुक्त–सह–समुचित सरकार का अंतराज्यीय ट्रांसपोर्ट निर्माण हेतु अर्जनाधीन भूमि के लिए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की समीक्षा :–

संक्षिप्त विवरण :–

भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के धारा–4 के आलोक में जिला भू–अर्जन कार्यालय में पत्रांक–924/भू0अ0, 925/भू0अ0, 926/भू0अ0, दिनांक–02.11.2017 के द्वारा राज्य सरकार से अधिकृत संस्थान SARDA, Ramgarh के माध्यम से सामाजिक प्रभाव के मुल्यांकन का कार्य करवाया गया। संस्थान, SARDA Ramgarh के द्वारा सर्वे के उपरांत सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन का प्रारूप प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिस पर जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धनबाद के अध्यक्षता में दिनांक–27.03.2018 को अधिनियम के धारा–5 के तहत सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन हेतु प्रभावित परिवारों का लोक सुनवाई किया गया। तत्पश्चात SARDA Ramgarh द्वारा अंतिम प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें प्रतिवेदन किया गया है, कि प्रस्तावित परियोजना का सकारात्मक प्रभाव नकारात्मक प्रभाव से ज्यादा लाभकारी है।

भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारर्दिता का अधिकार अधिनियम , 2013 के धारा–7 के आलोक में ज्ञापांक–419/भू0अ0, दिनाक–25.04. 2018 के द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन हेतु प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा हेतु विशेषज्ञ समूह (Expert Group) का गठन किया गया, जिसका मंतव्य प्राप्त है। विशेषज्ञ समूह ने अपने मंतव्य में भूमि अधिग्रहण के कार्य को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त किया है।

भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम ,2013 की धारा–10 के अंतर्गत खाध् सुरक्षा :–

लागू नहीं।

भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–8 के आलोक में समुचित सरकार की समीक्षा :–

1. **लोक प्रयोजनः–** भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 के धारा–2 (1) (C) के अनुसार परियोजना लोक प्रयोजन की परिभाषा के अंतर्गत आता है।

उक्त ट्रांसपोर्ट निर्माण से मुख्यतः धनबाद से लोगों को अवागमन एवं ठहराव में सुविधा हो जाएगी। इस परियोजना का लागत लाभ अनुपात घनात्मक है, कुल लाभान्वित व्यक्तियों के सकल आय में बढ़ोत्तरी करेगा।

2. **परियोजना का सामाजिक कुप्रभावः**—भूमि से लोगों का भावनात्मक जुड़ाव है अतः उसके अधिग्रहण से उन्हें सहज होने में समय लगेगा। अधिकांश रैयतों की भूमि पुस्तैनी भूमि है जिसके अधिग्रहण से उन्हें अपने पूर्वजों के उपहार खोने का भय है जिसे सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना के माध्यम से दूर किया जा सकता है।

3. **परियोजना से लाभः**—ट्रांसपोर्ट निमार्ण हेतु अर्जनाधीन भूमि के अर्जन से वहॉ जनउपयोगी सुविधाओं जैसे कि विद्यालय, अस्पताल, बिजली, डाकघर इत्यादि हेतु आवगमन की सुविधा का विकास होगा जिसका लाभ आसपास के लोगों को भी मिलेगा और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा साथ ही साथ रैयतों को नए भू—अर्जन अधिनियम के लाभ भी उन्हें प्राप्त होगें।

इस प्रकार संभाव्य फायदे सामाजिक खर्च और प्रतिकूल सामाजिक समाघातों के तुलना में अधिक है तथा प्रस्तावित भूमि जिसकी की परियोजना के लिए आवश्यकता है, पूर्णतया यथार्थ न्यूनतम सीमा तक की है और इससे विस्थापन की कोई समस्या नहीं है।

उपरोक्त के आलोक में एवं भू—अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा—8 (2) के अधीन अधोहस्ताक्षरी द्वारा ट्रांसपोर्ट निर्माण हेतु भूमि अर्जन के अग्रेत्तर कार्यवाही की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

21.1.20
उपायुक्त,
धनबाद।

ज्ञापांक - 62/भू० अ०, दिनांक - 22/01/2020

प्रतिलिपिः—

1. अपर समाहर्त्ता(विधि—व्यवस्था)—सह—वेब मैनेजर, धनबाद NIC को सूचनार्थ एवं जिला Website पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ प्रेषित।
2. अपर समाहर्त्ता, धनबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अनुमण्डल पदाधिकारी, धनबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम धनबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
5. अंचल अधिकारी, गोविन्दुपर को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभावित क्षेत्र के ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि को सूचनार्थ प्रेषित।

21.1.20
उपायुक्त,
धनबाद।